न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी श्री हॅसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 114/2013

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. प्रेमचन्द पुत्र स्व0 भींयाराम 2. त्रिलोकचन्द पुत्र स्व0 भींयाराम जातियान मेघवाल, निवासीगण ग्राम सरेंचा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर हाल निवासी रामबाग सेवा सदन स्कूल के सामने, कागा रोड़, जोधपुर।		01. देदाराम पुत्र स्व0 कानाराम 02. खेमचन्द उर्फ खींवराज पुत्र स्व0 कानाराम 03. श्यामलाल उर्फ ढ़लाराम पुत्र स्व0 कानाराम 04. मनोहर पुत्र स्व0 कानाराम जातियान मेघवाल, निवासीगण ग्राम सरेंचॉ, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 05. सुशीला पत्नि त्रिलोकचन्द 06. पिन्की पत्नि प्रेमचन्द जातियान मेघवाल, निवासी ग्राम सरेंचा, हाल निवासी रामबाग सेवा सदन स्कूल के सामने कागा रोड़, जोधपुर । 07. चेतनराम पुत्र स्व0 चुनाराम जाति मेघवाल, निवासी ग्राम सरेंचॉ, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 08. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर । 09. पटवारी पटवार क्षेत्र सरेंचा, तहसील लूणी । 10. लादुसिंह पुत्र भैरूसिंह के कायम मुकामः– 10/1. श्रीमती मदनकंवर पत्नि स्व0 लाधुसिंह 10/2. नारायणसिंह पुत्र स्व0 लाधुसिंह 10/3. श्यामलाल पुत्र स्व0 लाधुसिंह 10/4. गिरधारीसिंह पुत्र स्व0 लाधुसिंह 10/5. मूलसिंह पुत्र स्व0 लाधुसिंह जातियान मेघवाल, निवासीगण ग्राम सरेंचॉ, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 11. पारसराम पुत्र ढ़लाराम 12. प्रकाश पुत्र ढ़लाराम 13. गुडडी पुत्री ढ़लाराम 14. सन्तोष पुत्री ढ़लाराम 15. गोगली पत्नि ढ़लाराम 16. आदाराम पुत्र शंकरराम जातियान मेघवाल, निवासीगण ग्राम सरेंचॉ, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति –

1. प्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति।
2. अप्रार्थी संख्या सात व ग्यारह से पन्द्रह की तरफ से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा।
3. स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार ।
4. अप्रार्थी संख्या एक से चार व दस की तरफ से अधिवक्ता श्री अनोपसिंह सोलंकी ।

– : निर्णयः –

दिनांक :– 04.03.2026

1. प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं, जिसमें वर्णन किया कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् बंटवाड़ा, खातेदारी घोषणा, व स्थायी निषेधाज्ञा का इस न्यायालय के समक्ष पेश किया जिसमें अंकित किया है कि स्वर्गीय रूघाराम की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम खेडा सरेंचा के खसरा संख्या 761

सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा, ग्राम सरेचा के खसरा संख्या 54 रकबा 28 बीघा 01 बिस्वा, खसरा संख्या 55/1 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा, ग्राम सतलाना के खसरा संख्या 589/1 रकबा 01 बीघा, खसरा संख्या 611 रकबा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 618/1 रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 619 रकबा 24 बीघा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 620 रकबा 23 बीघा 03 बिस्वा, खसरा संख्या 621 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 621/1 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 622 रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा, खसरा संख्या 623 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में आयी हुई स्थित हैं। आगे अंकित किया है कि स्वर्गीय रूघाराम की खातेदारी की कृषि भूमि उक्त खसरों की भूमि का वर्तमान में रूघाराम के कुछ वारिसानों के नाम से खातेदारी में निम्न प्रकार से हक, व हिस्सा अलग अलग जमाबन्दीयों में दर्शाया गया हैं। खसरा संख्या 761 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा, स्व0 रूघाराम के सबसे बड़े पुत्र कानाराम के वारिसान देदाराम, खींवराज, ढ़लाराम व मनोहर के नाम से दर्ज हैं। खसरा संख्या 54 रकबा 28 बीघा 01 बिस्वा तथा खसरा संख्या 55/1 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा कुल रकबा 45 बीघा 19 बिस्वा में से स्वर्गीय रूघाराम के द्वितीय पुत्र चुनाराम के पुत्र चेतनराम के नाम से 1/2 हक, हिस्सा के अनुसार रकबा 22 बीघा 19 बिस्वा चेतनाराम के हक हिस्से में आता हैं तथा खसरा संख्या 589/1 रकबा 01 बीघा, खसरा संख्या 611 रकबा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 618/1 रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 619 रकबा 24 बीघा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 620 रकबा 23 बीघा 03 बिस्वा, खसरा संख्या 621 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 621/1 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 622 रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा, खसरा संख्या 623 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा, कुल खसरें 9, कुल रकबा 108 बीघा 01 बिस्वा में 1/4 हिस्सा स्वर्गीय रूघाराम के सबसे बड़े पुत्र कानाराम के वारिसान देदाराम, खेमराज, श्यामलाल व मनोहर, सुशीला व पिंकी के हक हिस्से में 1/4 हिस्सा आता हैं अथा कुल रकबा 108 बीघा 01 बिस्वा में 1/4 हक, हिस्से अनुसार रकबा 27 बीघा आती हैं। यह हैं कि विवादग्रस्त खसरा संख्या 761 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 54 व 55/1 रकबा 22 बीघा 19 बिस्वा तथा खसरा संख्या 589/1 से 623 रकबा 27 बीघा अर्थात कुल रकबा 65 बीघा 12 बिस्वा स्वर्गीय रूघाराम के कुल वारिसान के हक हिस्से में आता हैं परन्तु स्वर्गीय रूघाराम के तीसरें पुत्र भींयाराम के पुत्रों प्रेमचन्द व त्रिलोकचन्द(प्रार्थीगण) को विवादग्रस्त खसरों की कृषि भूमि में से किसी प्रकार का हक, हिस्सा नहीं दिया गया जबकि प्रार्थीगण प्रेमचन्द व त्रिलोकचन्द का अपने दादाजी स्वर्गीय रूघाराम की खातेदारी की कृषि भूमि में से 1/3–1/3–1/3, कानाराम, चुनाराम व भींयाराम का बराबर बराबर हक, व हिस्सा बनता था। अब वर्तमान में कानाराम के वारिसान देदाराम, खेमचन्द, श्यामलाल व मनोहर, चुनाराम के वारिसान चेतनराम तथा भींयाराम के वारिसान प्रेमचन्द व त्रिलोक चन्द के बीच 1/3–1/3–1/3 हक, हिस्सा बराबर–बराबर, कानूननः होना आवश्यक था परन्तु भींयाराम के वारिसान प्रेमचन्द व त्रिलोकचन्द प्रार्थीगण को स्वर्गीय

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

रूघाराम की खातेदारी की कृषि भूमि में से किसी प्रकार का हक, हिस्सा आज दिन तक नहीं दिया गया। यह हैं कि स्वर्गीय रूघाराम का संयुक्त परिवार व संयुक्त रूप से कब्जा काश्त होने की वजह से रूघाराम का स्वर्गवास हो जाने के बाद संयुक्त परिवार में सबसे बड़े पुत्र कानाराम को सभी संयुक्त परिवार के सदस्य पिता के समान समझने से प्रार्थीगण के पिता की सहमती से स्वर्गीय रूघाराम की खातेदारी की कृषि भूमि को कानाराम अपने नाम से करवा ली थी क्योंकि संयुक्त परिवार होने से किसी ने आपत्ति नहीं की तथा संयुक्त परिवार में कानाराम ही कर्ताधर्ता था। इसलिये कानाराम, चुनाराम व भींयाराम का संयुक्त रूप से विवादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त आज दिन तक चला आ रहा हैं। विवादग्रस्त कृषि भूमि स्वर्गीय कानाराम व उनके वारिसान तथा चुनाराम व उनके वारिसान के नाम की जमाबन्दी वादपत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही हैं। जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 तथा सम्वत् 2068 से 2071 की वादपत्र के साथ संलग्न हैं। यह हैं कि विवादग्रस्त कृषि भूमि के खसरा नम्बरों में दर्शाये गये हक, हिस्से अनुसार ही अनवान प्रकरण में अप्रार्थीगण बनाया गया हैं जिसमें प्रार्थीगण के अप्रार्थीगण से रिलीप प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी हैं तथा सहखातेदारों से प्रार्थीगण को रिलीप प्राप्त नहीं करनी हैं उनको पक्षकार मुकद्धमा आवश्यक रूप से नहीं बनाया जा रहा हैं जिसे प्रार्थीगण को किसी प्रकार से रिलीप प्राप्त नहीं करनी हैं। विवादग्रस्त कृषि भूमि के हक, हिस्से अनुसार प्रभावित पक्षकार हैं उन्ही को पक्षकार मुकद्धमा बनाया जा रहा हैं। यह हैं कि विवादग्रस्त कृषि भूमि रकबा 65 बीघा 12 बिस्वा में से प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण संख्या 1 से सात के बीच हक, हिस्से अनुसार आज दिन तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कानूनी बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं इसके बावजूद अप्रार्थीगण आपस में मिलीभगती कर प्रार्थीगण की बिना सहमती, गुपचुप तरीके से तीसरे अन्य अजनबी व्यक्ति को बेचान करने पर आमादा हैं तथा मौके पर सौदेबाजी की जा रही हैं, इसलिये प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से बेचान करने से रोकना कानूननः आवश्यक हो गया हैं, जिससे रेवेन्यू रेकर्ड में आवश्यक रूप से भारी परिवर्तन न हो। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विवादग्रस्त कृषि भूमि का किसी भी अन्य तीसरें अजनबी व्यक्ति को बेचान करने से रोकने तथा रेवेन्यू रेकर्ड में भारी परिवर्तन करने से रोकने के लिये अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का आदेश फरमाया जावें।

2. उपरोक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा अप्रार्थीगण संख्या एक से चार व सात की तरफ से जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए यह अंकित किया है कि वर्णित आराजी कभी भी रूघाराम के नाम नहीं रही हैं अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी संख्या 10 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया कि खसरा संख्या 761 माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.10.2011 द्वारा अप्रार्थी संख्या 10 को खातेदार घोषित किया गया अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थीगण ने जवाबुल जवाब

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

में यह कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 10 के द्वारा वर्णित आदेश काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 बी का उल्लंघन है अतः प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जावे। अन्य अप्रार्थीगण स्वयं द्वारा पक्षकार बनने के प्रार्थना पत्र पेश करने पर पक्षकार बनाये गये, उनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई जवाब पेश नहीं किया गया, एवं न ही उनके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार से कोई अनुतोष चाहा गया हैं।

3. हमने वकुलाय उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। बहस में विद्वान अधिवक्तागणों ने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब अनुसार कथन किया। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.8.2025 का भी अवलोकन किया गया जिसको माननीय अपील न्यायालय द्वारा अपास्त करते हुये पुनः सुनवाई के निर्देश दिये गये है। प्रार्थना पत्र में संशोधित अनबान का अवलोकन भी किया गया जिसमें आदाराम ढलाराम के वारिसान पि. शंकरराम भी पक्षकारान है। हमने प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा के तीन आवश्यक बिन्दुओं प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति पर विवेचन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा यद्यपि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस प्रकार से उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में रूघीया के नाम कभी दर्ज रही है और न ही इस बाबत दस्तावेज प्रस्तुत किये है। लेकिन वाद के अंतिम निस्तारण से पूर्व वर्तमान में जारी यदि अस्थायी निषेधाज्ञा को हटाया जाता है तो सुविधा का संतुलन व निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम सतलाना, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 589/1, 611, 618/1, 619, 620, 621/1, 621, 622, 623 ग्राम खेड़ा सरेंचा के खसरा संख्या 761 व ग्राम सरेंचा तहसील लूणी के मूल खसरा संख्या 54 रकबा 28–01 बीघा, खसरा संख्या 55 रकबा 17–18 बीघा भूमि पर उभयपक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रैकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

हॅसमुख कुमार आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी